न्यामूर्ति नवाब सिंह के समक्ष
शीला देवी और अन्य,-अपीलार्थी
बनाम
वीर पाल और अन्य,-उत्तरदाता
2010 का एफ. ए. ओ. सं. 1222
17 जनवरी, 2012।

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923-धारा 4 (3)-एफ. ए. ओ. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के तहत आयुक्त के आदेश के खिलाफ दायर किया गया, जिसके तहत बीमा कंपनी द्वारा आदेश पारित करने की तारीख से मुआवजा प्राप्ति तक ब्याज का भुगतान किया जाना था- अभिनिर्धारित, एफ. ए. ओ. की अनुमति- मुआवजा कर्मचारी को देय हो जाता है और नियोक्ता उस तारीख से इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिस दिन कर्मचारी को चोट लगी हो या मृत्यु हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब इस प्रश्न की बात आती है कि ब्याज किस तारीख से दिया जाना है, तो अधिनियम की धारा 4 (ए) के प्रावधान स्पष्ट हैं।सबसे पहले, यह समझना होगा कि मुआवजा कर्मचारी को देय हो जाता है और नियोक्ता उस तारीख से इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिस दिन कर्मचारी को चोट लगी हो या मृत्यु हो, जैसा भी मामला हो।हालांकि, अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा (3) नियोक्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तीस दिनों की अवधि प्रदान करती है।यह तर्क देना गलत होगा कि आयुक्त द्वारा निर्णय पारित होने पर मुआवजा देय हो जाता है।

(पैरा 4)

अभिनिर्धारित किया कि इस प्रकार, इन निर्णयों के बल पर, शुद्ध प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

(i) पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि दुर्घटना की तारीख है।

(ii) क्षतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख से देय हो जाती है न कि आयुक्त द्वारा निर्णय के आदेश की तारीख से, और

(iii) नियोक्ता को तीस दिनों का समय दिया गया है और दुर्घटना के तीस दिनों के बाद ब्याज देना शुरू हो जाएगा और भुगतान किया जाना चाहिए।

(पैरा 6)

सौरभ बजाज, अधिवक्ताअपीलार्थियों की ओर से।

आर. सी. कपूर, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 3 के लिए।

न्यामूर्ति नवाब सिंह (मौखिक)

यह दावेदारों की अपील 24 जून, 2009 के उस फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है जिसे आयुक्त ने कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में "अधिनियम"), करनाल के तहत पारित किया था, जिसके तहत उन्होंने दावेदारों को 265204 रुपए मुआवजे के रूप में उनके 18 साल के बेटे बिटू की मृत्यु 30 मार्च, 2005 को एक कैंटर (एचआर-38-जे-8413) के साथ सड़क दुर्घटना में होने के कारण दिया था।आयुक्त ने कैंटर बीमाकर्ता के राष्ट्रीय बीमा कंपनी- को आदेश पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दी गई राशि जमा करने का भी निर्देश दिया और चूक की स्थिति में, बीमा कंपनी को मुआवजे की राशि पर 12 प्रतिशत की दर से सरल ब्याज का भुगतान करना था।

(2) आयुक्त द्वारा पारित निर्णय को केवल ब्याज अनुदान के अल्प बिंदु पर ही चुनौती दी गई है।अपीलार्थियों के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ब्याज का

भुगतान 'चोट लगने के तीस दिन बाद' से किया जाना चाहिए था, न कि 'निर्णय की तारीख से'।इस तर्क के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (i) प्रताप नारायण सिंह देव बनाम श्रीनिवास सबाटा और अन्य (1), (ii) केरल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम वल्सला के. और अन्य आदि आदि। (2) और इस न्यायालय का, (iii) न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड **बनाम मनफूल सिंह और अन्य (3) और (iv) अनीश नसरुद्दीन कुरैशी और** एफ. ए. ओ संख्या 2011 के 2509 ने 16 जनवरी, 2012 को निर्णय पर भरोसा जताया।

(3) दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि आयुक्त ने ब्याज को सही ढंग से निर्धारित किया है क्योंकि इसका भुगतान दावे के निर्णय की तारीख से किया जाना था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले कमला चतुर्वेदी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और अन्य (4) पर भरोसा जताया ।

---

(1) 1976 (2) एस. सी. सी. 289
(2) ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3502
(3) 2009 एसीजे 458
(4) 2009 (1) एसी सी 60 (एस सी)

(4) जब इस सवाल की बात आती है कि ब्याज किस तारीख से दिया जाना है, तो श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 (ए) के प्रावधान स्पष्ट हैं।सबसे पहले, यह समझना होगा कि मुआवजा कर्मचारी को देय हो जाता है और नियोक्ता उस तारीख से इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है जिस दिन कर्मचारी को चोट लगी हो या मृत्यु हो, जैसा भी मामला हो।हालांकि, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) नियोक्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तीस दिनों की अवधि प्रदान करती है।यह तर्क देना गलत होगा कि आयुक्त द्वारा निर्णय पारित होने पर मुआवजा देय हो जाता है।कमला चतुर्वेदी के

मामले (ऊपर) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ पूर्व के फैसले पर भरोसा करने के बाद राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम मुबासिर अहमद और एक अन्य (4) में यह स्वीकृत किया कि मुआवजा केवल तभी देय होता है जब आयुक्त आदेश या पुरस्कार पारित करता है।यह दृष्टिकोण प्रताप नारायण सिंह देव के मामले (उपरोक्त) में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चार-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के सीधे विरोध में है।वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि मुआवजा केवल तभी देय होता है जब आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जाता है और स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता हैः-

> "7. अधिनियम की धारा 3 मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्व से संबंधित है।उस धारा की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि नियोक्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि कर्मचारी को उसके रोजगार से और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली दुर्घटना से चोट लगती है। यह नियोक्ता का मामला नहीं था कि धारा 3 की उप-धारा (5) के तहत मुआवजे का अधिकार छीन लिया गया था क्योंकि नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ नुकसान के संबंध में दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।इसलिए नियोक्ता उस दुर्घटना से जो कि नौकरी से और उसके दौरान हुई थी| कर्मचारी को उपरोक्त व्यक्तिगत चोट लगते ही मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया, जो स्वीकार किया जाता है।इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि धारा 19 के तहत 6 मई, 1969 के आयुक्त के आदेश के बाद तक मुआवजा देय नहीं था।इस धारा में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि यदि अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में मुआवजे का भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति के दायित्व के बारे में या मुआवजे की राशि या अवधि के बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो समझौते की चूक में, आयुक्त द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा।इसलिए इस तर्क को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि चोट के संबंध में धारा 3 के तहत मुआवजे का भुगतान करने के

---

(5) 2007 (2) एससीसी 349

लिए नियोक्ता के दायित्व को खंड 19 द्वारा विचार किए गए समझौते के बाद तक निलंबित कर दिया गया था। इस प्रकार जैसे ही अपीलकर्ता को उपरोक्त व्यक्तिगत चोट लगी, अपीलकर्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, और इसके विपरीत तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है।"

मुआवजे की अवधि का समझौता न होने पर आयुक्त द्वारा निपटारा किया जाएगा।इसलिए इस तर्क को उचित ठहराने के लिए कुछ भी नहीं है कि चोट के संबंध में खंड 3 के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए नियोक्ता के दायित्व को खंड 19 द्वारा विचार किए गए समझौते के बाद तक निलंबित कर दिया गया था।इस प्रकार जैसे ही अपीलकर्ता को उपरोक्त व्यक्तिगत चोट लगी, अपीलकर्ता मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, और इसके विपरीत तर्क के लिए कोई औचित्य नहीं है।"

(5) केरल राज्य विद्युत बोर्ड में और दूसरा बनाम वलसला के. और दूसरा आदि।(ऊपर), तीन न्यायाधीशों की पीठ प्रताप नारायण सिंह देव के मामले (ऊपर) के फैसले पर भरोसा करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"5. हमारा ध्यान यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम अलवी, 1998 (1) के. आर. एल. टी. 951 (एफ. बी.) केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले की ओर भी आकर्षित किया गया है।जिसमें पूर्ण पीठ ने समरूप प्रश्न और उपरोक्त दोनों उल्लिखित निर्णयों की जांच की।इसने यह विचार रखा कि घायल कर्मचारी उस समय मुआवजा पाने का हकदार हो जाता है जब वह श्रमिक मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विचार किए गए प्रकार की व्यक्तिगत चोटों का सामना करता है और यह है -

(6) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय प्रताप सिंह नारायण सिंह देव का मामला (ऊपर) और केरल राज्य विद्युत बोर्ड का मामला जो इस अदालत ने मनफूल सिंह के मामले (ऊपर) और अनीश के मामले (ऊपर) में भी पालन किया।इस प्रकार, इन निर्णयों के बल पर, शुद्ध प्रस्ताव निम्नानुसार हैः-

(i) पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तिथि दुर्घटना की तारीख है।

(ii) क्षतिपूर्ति दुर्घटना की तारीख से देय हो जाती है न कि आयुक्त द्वारा निर्णय के आदेश की तारीख से, और

((iii) नियोक्ता को तीस दिनों का समय दिया गया है और दुर्घटना के तीस दिनों के बाद ब्याज देना शुरू हो जाएगा और भुगतान किया जाना चाहिए।

(7) मामले के इस दृष्टिकोण में, अपीलकर्ताओं के वकील का प्रस्तुतीकरण आश्वस्त करने वाला है और अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुरूप है, और प्रतिवादी बीमा कंपनी के वकील की प्रस्तुति मान्य नहीं है।

(8) उपरोक्त दिए गए कारणों के लिए, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।अपीलकर्ताओं को मृतक की मृत्यु की तारीख 30 मार्च, 2005 से मुआवजे की राशि 2,65,204 रु का हकदार माना जाता है और वे उसके बाद तीस दिनों यानी 30 अप्रैल, 2005 से बीमा कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि जमा किए जाने तक ब्याज के हकदार होंगे।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)